

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-9
संख्या-1447 /पॉच-9-2026
लखनऊ: दिनांक 18 अगस्त, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

अधिसूचना संख्या-1429/पॉच-9-2026-6(74)/94टी0सी0-11 दिनांक 17-08-2026 के द्वारा गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत गठित "राज्य समुचित प्राधिकरण" में श्री लोकेश नागर, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश सरकार के स्थान पर श्री विकास नागर, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश सरकार को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए समुचित प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

2- उक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- (1) सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निर्माण भवन नई दिल्ली।
- (2) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- (3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- (4) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- (5) श्री विकास नागर, विशेष सचिव, अपर विधि परामर्शी, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (6) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- (7) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
- (8) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
- (9) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
- (10) प्रधानाचार्य, समस्त मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
- (11) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ0प्र0।
- (12) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
- (13) डा0 नीरू बंसल, द विजन, आगरा, बी-8 ए, न्यू आगरा, जनपद आगरा।
- (14) गार्ड फाइल।


18/08/26
(रवि रजन)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-9

संख्या-1429/पांच-9-2026-6(74)/94टी0सी0-II

लखनऊ: दिनांक-17 अगस्त, 2026

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897, (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या 57 सन् 1994) की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-738/5-9-2024-6(74)-94टी0सी0-II, दिनांक 25 मई, 2024 द्वारा यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-3020/5-9-2007-6(74)-94टी0सी0, दिनांक 30 नवम्बर, 2007 का आंशिक उपांतरण करके राज्यपाल, श्री लोकेश नागर, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश सरकार के स्थान पर श्री विकास नागर, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश सरकार को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए समुचित प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,


(अमित कुमार घोष)
अपर मुख्य सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN

Chikitsa Anubhag-9

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1429/5-9-2026-6(74)/94TC-II, Dated August, 2026:

Notification

**No-1429/5-9-2026-6(74)/94TC- II
Lucknow, Dated 17 August, 2026**

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 17 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (Act no. 57 of 1994) read with section-21 of the General clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of Government notification no. 3020/V-9-2007-6(74)-94TC., Dated November 30, 2007 as amended by Government notification no. 738/V-9-2024-6(74)-94-T.C.II Dated May 25, 2024, the Governor is pleased to appoint Shri Vikas Nagar, Special Secretary and Additional Legal Remembrancer, Uttar Pradesh Government as the member of Appropriate Authority for the whole of Uttar Pradesh in place of Shri Lokesh Nagar, Special Secretary and Additional Legal Remembrancer, Uttar Pradesh Government.

By order,


(Amit Kumar Ghosh)

Additional Chief Secretary